राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/रागासेके/08–09 जयपुर, दिनांकः 19 DEC 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषायान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में दिनांक 11.11.2009 को संशोधन कर प्रत्येक पंचायत सम्मिति एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम संसाधन केन्द्र और ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण योजनान्तर्गत अनुमत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत पर इन केन्द्रो का निर्माण वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किये जाने है।

राज्य में एक परियोजना के रूप में 249 पंचायत समिति एवं 9168 ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में करवाया जा रहा है। अतः इन केन्द्रो का निर्माण एक समयबद्ध कार्यकम, एक नियत रूप रेखा एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाना है। इन केन्द्रों के निर्माण के कम में ग्रामीण विकास मन्त्रालय में आयोजित बैठक दिनांक 27.11.2009 एवं 9.12.2009 में दिये गये निर्देशों के कम में केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे :–

- पूर्व में भिजवाये गये मानचित्रों को अधिकमित (Supersession) करते हुए ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर निर्मित होने वाले सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए अनुमोदित मानचित्र एवं अन्य आवश्यक ड्राँइंग्स संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
- ग्रामीण इलाकों में स्थित पंचायत समितियों पर बनने वाले केन्द्रों एवं सभी ग्राम पंचायतों पर बनने वाले केन्द्रों का व्यय नरेगा योजनान्तर्गत किया

जायेगा। शहरी क्षेत्रों में स्थित पंचायत समिति में होने वाले निर्माण के लिये राशि नाबार्ड से उपलब्ध कराई जावेगी।

- पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय एक ही स्थान पर होने पर भी दोनों केन्द्र अलग-अलग निर्मित किये जायेगे।
- पंचायत समिति पर निर्मित होने वाले केन्द्र के निर्माण पर अधिकतम व्यय 25 लाख रू. अनुमत है। इसमें से सिविल निर्माण कार्य (मय बिजली एवं सैनेट्री कार्य) पर रू. 21.80 लाख तथा सौर ऊर्जा बैकअप के लिए 3.20 लाख रू. अधिकतम व्यय किये जा सकेंगे।
- ग्राम पंचायत पर निर्मित होने वाले केन्द्र के निर्माण पर अधिकतम व्यय 10 लाख रू. अनुमत है। इसमें से सिविल निर्माण कार्य (मय बिजली एवं सैनेट्री कार्य) पर रू. 8 लाख तथा सौर ऊर्जा बैकअप के लिए 2 लाख रू., व्यय किये जा सकेंगे।
- सौर ऊर्जा बैकअप का कार्य "रील" द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से भिजवाये जा रहे है।
- दोनों स्तर पर निर्मित होने वाले इन केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निम्न प्रावधान लागू होंगे :-

1. निर्माण कार्य ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कार्यालय परिसर में ही निर्मित किये जायेगे। दोंनो स्तर पर निर्मित होने वाले केन्द्रों का निर्माण पत्र के साथ संलग्न अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही कराया जावे। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भवन में वर्तमान में उपलब्ध कार्यालय परिसर, शौचालय, चार दीवारी एवं अन्य विवरणों को स्पष्ट रूप से एक प्लान में दर्शाया जावे। प्रस्तावित निर्माण कार्य को वर्तमान में उपलब्ध भवन के साथ इस तरह लिंक किया जावे कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो सके।
2. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति परिसर में निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनमें स्थान की उपलब्धता के अनुसार निम्नानुसार विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव किया जावे :-

(अ) वर्तमान परिसर में नवीन स्थान उपलब्ध है परन्तु मानचित्र के अनुसार सम्पूर्ण भवन का निर्माण एक तल पर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में भवन का निर्माण कार्य दो मंजिलों पर किया जा सकता है।

(ब) वर्तमान परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं है, परन्तु पूर्व से उपलब्ध भवन की तकीनीकी गुणवत्ता अच्छी होने की स्थिति में प्रथम तल पर निर्माण कार्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मानचित्र में जो आवश्यकताएं एवं न्यूनतम क्षेत्रफल दर्शाया गया है वो समस्त आवश्यकताएं प्रस्तावित न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम तल पर निर्मित की जा सकती है।

(स) वर्तमान परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं होने एवं वर्तमान में उपलब्ध भवन तकनीकी रूप से नवीन मंजिल का भार सहन करने की स्थिति में नहीं होने की स्थिति में समीपतम स्थान पर नवीन मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य किया जावे। इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक से अधिक क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटित कराया जावे। इस परिसर में गहन वृक्षारोपण, वृक्षों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार, वृक्षारोपण को बचाने के लिए जल स्त्रोत एवं बरसात के जल को एकत्रित करने के लिए जल संग्रहण टांका भी बनाया जावे।

स्थान परिविर्तन करने अथवा मानचित्र में परिवर्तन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से होना आवश्यक है।

- भवन निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी मापदण्ड परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अन्य ड्रॉइंग्स भी संलग्न है। उपरोक्त ड्रॉइंग्स एवं मॉडल तकमीना विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। यहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।
- उपरोक्त मानचित्रों के लिए मुख्यालय से तैयार किया गया लागत अनुमान भी संलग्न है। जिले की आवश्यकताओं/तकनीकी मानदण्डों के अनुसार संलग्न मानचित्र को आधार मानते हुए जिले की प्रचलित दरों के अनुसार इन केन्द्रो का जिला स्तर से कार्यवार विस्तृत तकमीना तैयार किया जाकर तद्नुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जावे। गुणवत्तायुक्त स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग भी किया जावे। **पंचायत समिति केन्द्र के तकमीने एवं तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति परीक्षण/काउण्टर चैकिंग/सूचनार्थ नरेगा आयुक्तालय को भी भिजवाई जावे।**

- दोनों स्थल पर केन्द्र निर्माण के लिए स्वीकृत राशि, समय सीमा, आवश्यक सामग्री, नियोजित श्रमिकों का विवरण आदि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यस्थल पर आवश्यक एवं स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। इस हेतु कार्यस्थल बोर्ड लोहे अथवा ईंट/पत्थर की दीवार में तैयार किया जावे।
- परिसर में पौधारोपण के कार्य की समुचित व्यवस्था की जावे। पौधारोपण का कार्य योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधि है। बरसात के जल को एकत्रित करके भी पौधारोपण को सुरक्षित किया जा सकता है। अतः प्रत्येक केन्द्र में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे एवं इस प्रकार एकत्रित जल का उपयोग शौचालय एवं परिसर में पौधों को पानी पिलाने में किया जावे। अतः वृक्षारोपण एवं इसकी सुरक्षा का कार्य भी योजना में अनुमत करवाया जावे। इसके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था केन्द्र के निर्माण के लिए उपलब्ध राशि के अतिरिक्त की जावे।
- इन केन्द्रों के निर्माण पर सामग्री मद पर होने वाला व्यय श्रम श्रम मद के व्यय के साथ लिंक किया जावे। अर्थात कार्य की प्रगति को देखते हुए सामग्री का क्रय किया जावे। कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही सामग्री मौके पर एकत्रित की जावे।
- पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों पर बन रहे इन केन्द्रों का निर्माण सम्बन्धित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी की स्वयं की देखरेख में किये जायेगे एवं इन निर्माणों के लिए कार्यक्रम अधिकारी सीधे सीधे उत्तरदायी होंगे। प्रस्तावित तकमीने के अनुसार निम्न स्तरों पर होने वाला मूल्यांकन निम्नानुसार होगा :-

क्र.सं.	निर्माण की स्थिति	कुल मूल्यांकन	सामग्री मद का मूल्यांकन
1.	कुर्सी स्तर तक कार्य		
2.	मटोड स्तर तक का कार्य		
3.	छत स्तर तक चिनाई का कार्य		
4.	छत डलने का कार्य		
5.	भवन पर प्लास्टर का कार्य		
6.	कुल फर्स का कार्य		

[illegible]	विद्युत कार्य		
8.	सैनेट्री कार्य		

नोटः– जिले द्वारा तैयार किये गये तकमीनों के आधार पर उक्त सूचनाऐं तैयार की जावे एवं प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी तथा ग्राम पंचायत को उक्तानुसार सूचित किया जावे।

- केन्द्रो के निर्माण की प्रगति प्रति माह अलग से राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी एवं इन केन्द्रों के विभिन्न स्तरों यथा कुर्सी स्तर तक निर्माण, मटोड़ स्तर तक निर्माण, छत भराई, फिनिसिंग कार्य की एक समय सीमा के अनुसार समीक्षा की जावे एवं निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जावे। योजना की प्रगति की कान्करन्ट आडिट भी की जावे।
- कार्य पूर्ण होने पर कार्य की स्वीकृत राशि, व्यय राशि, योजना का नाम आदि का विवरण एक ग्रेनाईट पत्थर 2 फीट वाई 1.5 फीट नाप में शब्दों को खुदवाकर अंकित करवाया जावे।
- योजना की प्रगति निर्मित रूप से विभागीय वेबसाईट पर अपडेट की जावे।
- नरेगा मार्गदर्शिका की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

19/12/09

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय मन्त्री, ग्राविएवं पराविः
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परि समस्त राजस्थान
4. अधि0 अभियन्ता, ईजीएस जिला परि समस्त राजस्थान
5. विकास अधिकारी एवं पदेन कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान
6. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परियोजना निदेशक ईजीएस